न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

वाद संख्या 132 वर्ष 2018

कमरूद्दीन वगैरह बनाम अनीस वगैरह

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
17.06.2019	पत्रावली पेश हुयी । उभय पक्ष के वकील उपस्थित। प्रार्थीगण प्रतिवादीगण न0 1, 2 व 4 ने दिनांक 14.05.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र दिनांक 31.08.64 के इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा विधि अनुसार उक्त दस्तावेज की पालना करवाने या अन्य कोई सहायता प्राप्त करने हेतु सिविल न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। इसलिये वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण उक्त न्यायालय मे चलने योग्य नही है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ असल दस्तावेज पेश किये जाने चाहिये थे, वादी ने जिन दस्तावेज के आधार पर वाद पेश किया है वह असल दस्तावेज नही है तथा दस्तावेजों मे काट छांट करके बनावटी दस्तावेज पेश किये गये, जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, अन रजिस्टर्ड है। वादी ने जिस दस्तावेज के आधार पर वाद पेश किया है, वह लगभग 50 वर्ष पूर्व का है,जो विधि अनुसार समयावधि बाहर है तथा चलने योग्य नही है। अतः वादीगण का उक्त वाद विधि विरूद्व होने से खारिज किया जावे। प्रतिपक्षीगण की और से उनके वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि यह प्रार्थना पत्र महज प्रार्थीगण को जेरबार, परेशान करते हुये प्रकरण को देरीना करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। उक्त वाद कृषि भूमि से सम्बन्धित है एवं उक्त वाद मे जो अनुतोष चाहा गया है, वह केवल खातेदारी अधिकार प्राप्त करने एवं प्रार्थीगण के हितो के प्रतिकूल प्रभाव शून्य हुये विक्रय पत्रो को अकृत एवं शून्य घोषित करवाने के लिये है, प्रार्थीगण ने उक्त विक्रय पत्रों को निरस्त करने हेतु माननीय न्यायालय मे वाद पेश नही किया गया है। जिनका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रतिपक्षीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे असल दस्तावेज प्रस्तुत नही करने का कारण अंकित किया गया है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा असल दस्तावेज की फोटो प्रतिया पेश की गई है। प्रार्थीगण का अपने वाद को साबित करने भार प्रार्थीगण पर है। उक्त आधार पर प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थीगण का वाद किसी प्रकार से खारिज नही किया जा सकता। अतः प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।	

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई।

प्रतिवादीगण प्रार्थीगण के वकील का कथन है कि वादीगण ने यह वाद पत्र दिनाक 31.08.64 के इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत किया गया है । उक्त दस्तावेज की पालना करवाने या अन्य कोई सहायता प्राप्त करने हेतु सिविल न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। इसलिये वादीगण का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इस न्यायालय मे चलने योग्य नही है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात को लेकर सिविल कोर्ट मे भी प्रकरण पेश किया हुआ है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का उक्त वाद विधि विरूद्व होने से इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

प्रतिपक्षीगण वादीगण के वकील ने तर्क पूर्ण कथन किया कि हमारा वाद कृषि भूमि से सम्बन्धित है एवं उक्त वाद मे जो अनुतोष चाहा गया है, वह केवल खातेदारी अधिकार प्राप्त करने एवं प्रार्थीगण के हितो के प्रतिकूल प्रभाव शून्य हुये विक्रय पत्रो को अकृत एवं शून्य घोषित करवाने के लिये है, प्रार्थीगण ने उक्त विक्रय पत्रों को निरस्त करने हेतु माननीय न्यायालय मे वाद पेश नही किया गया है। जिनका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रतिपक्षीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे असल दस्तावेज प्रस्तुत नही करने का कारण अंकित किया गया है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा असल दस्तावेज की फोटो प्रतिया पेश की गई है। प्रार्थीगण का अपने वाद को साबित करने भार प्रार्थीगण पर है। उक्त आधार पर प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थीगण का वाद किसी प्रकार से खारिज नही किया जा सकता। अतः प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के विद्वान वकील की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। यह सही है कि वादीगण ने प्रस्तुत वाद इकरारनामा दिनांक 31.08.1964 के आधार पर उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादीगण 1 ता 2 के द्वारा सद्भावी क्रेता के रूप मे खरीद की गई है तथा वर्तमान मे प्रतिवादी न0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण के वकील ने कथन किया है कि वादीगण के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को निरस्त कराये जाने हेतु सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया हुआ है, जो वर्तमान मे जैरकार है। वादीगण के वकील ने भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को निरस्त कराये जाने हेतु

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा।

Scanned by CamScanner

सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार एक ही आराजी को लेकर भिन्न –भिन्न न्यायालयों मे प्रकरण दर्ज किये गये है। इस न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को निरस्त किये जाने का अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजीयात का वाद माननीय सिविल न्यायालय मे जैरकार होने से इस वाद का इस न्यायालय मे चलने का कोई औचित्य नही है। इसके अलावा वादीगण ने जिस इकरारनामे के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है वह भी अन रजिस्टर्ड है। पत्रावली मे मूल इकरारनामा भी वादी द्वारा प्रस्तुत न कर उसकी छाया प्रति प्रस्तुत की है। फोटो प्रति व अन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्य विधि द्वारा वर्जित होने से वाद चलने योग्य नही है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रतिवादीगण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रतिवादीगण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner